राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुसंधान–5)

क्रमांक एक 27(48)प्रविधि–5/पीएमएवाईजी/जिला/2017–18 जयपुर,
जिला कलकट,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय:— प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण वर्ष 2019–20 की स्वीकृतियां जारी किये जाने के कस्म में।

प्रसंग:— विभागीय पत्र दिनांक 31.05.19, 13.06.19, 17.06.19, 18.06.19 एवं बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.06.19।

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु 3.64 लाख के लक्ष्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित किये गये हैं। उक्त लक्ष्य जिलेवार आवाससॉप्लेट पर माह मार्च 2019 में अपलोड कर दिये गये थे, जिनके कस्म में उपरोक्त प्रासादिक पत्रों के द्वारा योजनान्तर्गत पंजीयन एवं स्वीकृति का कार्य जारी निर्देशों के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कस्म में जिला आवास प्रभारी एवं लेखाधिकारियों की इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में कार्यशाला/प्रशिक्षण दिनांक 19.06.2019 को आयोजित कर योजना क्रियान्वयन की समीक्षा एवं वर्ष 2019–20 की स्वीकृतियों के कस्म में विस्तृत निर्देश भी प्रदान किए गये हैं।

अतः वर्ष 2019–20 की समस्त स्वीकृतियां माह जुलाई, 2019 में जारी किये जाने एवं केंद्रीयंश की राशि प्राप्त होने पर प्रधान किश्त जारी किये जाने की सुनिश्चितता हेतु जिला स्तर पर गाठित योजना क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वय एवं अपील समिति की बैठक में निम्न विनियम समीक्षा कर संबंधित की आवश्यक निर्देश प्रदान करें—

1. वरीयता सूची में शामिल एवं वर्ष 2018–19 तक वरीयता क्रमांक वार स्वीकृति जारी किये जाने में छूटे ऐसे लाभाधिकारियों जो पात्र नहीं हैं को अनिवार्य रूप से सिमांद्र मॉड्यूल पर वर्ष कराना एवं पात्र व्यक्तियों को वरीयता क्रमांक में स्वीकृति से वंचित किया गया हो, तो संबंधित दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये, इसकी पुनरावृत्ति न हो के कस्म में जिले में व्यवस्था स्थापित करें।

2. मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्मित होने वाले आवासों के किंहीकरण की प्रगति एवं CSDCI, नई दिल्ली से अनुमोदित संस्थाओं को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मैसन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु संबंधित से अभिवृद्धि के प्रत्याय प्राप्त करने की समीक्षा।

3. योजनान्तर्गत 05 प्रतिशत दिव्यांगजनों को स्वीकृति जारी किये जाने एवं प्राथमिकता से वरीयता सूची में शामिल भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार शूक्षण आवेदन की समीक्षा।

4. एनआरएलएम, एसपीएमआरएम एवं, SAGY एवं Aspirational Districts एवं अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित कर सेवुरेशन किये जाने की समीक्षा व निर्णय।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले नोटिफाइड क्षेत्र में शामिल गांवों के लाभार्थियों की प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से लाभार्थित नहीं किया जायें। यदि किसी ग्राम पंचायत के समस्त राजस्व ग्राम नोटिफाइड क्षेत्र में शामिल नहीं हुये हो तो ऐसे ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत ही लाभार्थित किया जायें। इसी तरह यदि नोटिफाइड क्षेत्र का कोई गांव लगा हुआ/फिल्टर हुआ/आस पास पानी नहीं होने की परिस्थिति में ऐसी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत ही लाभार्थित किया जायें।

6. योजना-अन्तर्गत 4 प्रतिशत प्रशासनिक मद के प्रबंधन-नुसार राशि उपयोग में नहीं किये जाने के फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा उक्त मद में कटौती कर राशि 1.70 प्रतिशत ही कर दी गयी है। अतः उक्त के परिन्योजना में जिले को प्रशासनिक मद में जारी राशि के अन्तर्गत अनुमत कार्यों यथा मैनप श्रमिक, प्रोटोटाइप निर्माण, लाभार्थियों को प्रशिक्षण, वरीयता सूची का दीवार लेखन आदि एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर), संचार प्रणाली एवं योजना क्रियान्वयन, सर्वेक्षण एवं निगरानी आदि मदों के अन्तर्गत समर्थित उपयोग सुनिश्चित कराने हुये, उपयोगिता प्रमाण पत्र मय सीए ऑडिट मिलने पर वह समीक्षा करेंगे।

उपरोक्तानुसार समीक्षा कराकर माह जुलाई, 2019 तक वर्ष 2019-20 की स्वीकृतियां जारी करायें जाना सुनिश्चित करेंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सर्विस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामर के प्रतापे।
2. निजी सर्विस, विशेष शासन सचिव, ग्रामर, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किला परिषद, समस्त।

स्टेट मोडल अधिकारी, PMAY-G

D:\word file 22 June 19\Letter.docx